the Lok Sabha and this House, of course, is a question of the pride of this House. Nothing further. Otherwise....

SHRI SADASIV BAGAITKAR: That could have been avoided.

MR. CHAIRMAN: It could have been avoided. I think, Mr. Makwana will remember this that this House is very sensitive. If you do something there, do it simultaneously here. Otherwise, they feel insulted.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, here also.... (*Interruptions*) Mr. was raised in both the Houses. So, Sir, here also.... (*Interruptions*) Mr. Chairman, Sir, here also.... (*Interruptions*).

SHRI G. C. BHATTACHARYA (Uttar Pradesh): Sir, we want to know when they are going to discuss it. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Both Houses should be treated equally. I have already told the Minister.

SHRI G. C. BHATTACHARYA: Sir, through you, I am appealing to the Government to tell us when this report will be discussed. Sir, the tone in which the Leader of the House is speaking, I take offence to it. Mr. Mukherjee, otherwise is a soft-spoken man.... (*Interruptions*)

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Sir, tomorrow, in the Business Advisory Committee meeting, we can discuss it. Neither you can give the time nor can I give the time right now.

MR. CHAIRMAN: I am not giving any reply just now when it will be discussed. We will discuss in the Business Advisory Committee meeting as to when it will be dicussed in the House. Now, there is a personal explanation by a Member—Shrimati Vijaya Raje Scindia.

Personal Explanation by Shrimati Vijaya Raje Scindia

श्रीमती विजया राजे सिंधिया (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्री वसंत साठे ने 28 जुलाई को सदन में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के बारे में हुई चर्चा का उत्तर देते हुए जो भाषण दिया उसमें मेरा भी उल्लेख उन्होंने किया और कहा कि :

[THE DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*]

"Now what happened when no less a person, Sir, than Shrimati Vijaya Raje Scindia issued a public statement and she condemned the police for mass atrocities of some poor, tribal women. The next day we found, those very women came forward to state that there was no truth in the allegation at all. This contradiction was published on some fourth page or somewhere else, but the people.... (*Interruptions*)".

मुझे खेद है कि श्री वसंत साठे ने या तो मेरे वक्तव्य को पढ़ा ही नहीं अथवा उन्होंने जान बूझ कर उसे तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की है।

"बांदा जिले के कोल गदहइया गाँव के एक मजरा कोरिनपुरवा सलैया में हुई गंभीर घटना के बारे में मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें पुलिस द्वारा महिलाओं पर सामूहिक अत्याचार करने का कोई उल्लेख नहीं था"।

इसलिए मैंने जो कुछ कहा उसका खंडन किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

उपर्युक्त ग्राम की यात्रा करने और स्वयं संबंधित महिलाओं से बातचीत करने के बाद मैंने जो कुछ कहा था वह सूचना मंत्री यदि देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ग्राम-वासियों ने जो कुछ कहा उसके अनुसार 23 जून, 1980 की रात लगभग 9 बजे 6 लोग, जो पुलिस की वर्दी पहने हुए थे, हथियारों से लैस, कोरिनपुरवा सलैया गाँव में आए और घरों की तलाशी लेने पर जोर देने लगे,

उन्होंने सभी नर-नारियों को पहाड़ी की तरफ चलने के लिए मजबूर किया और वहाँ पहुंचने पर मर्दों को मार-पीट कर छोड़ दिया और औरतों को रोक लिया। औरतों पर क्या बीती यह बताने में औरतें सब के सामने संकोच कर रही थी। गाँव में पुलिस मौजूद थी इसलिए वहाँ लोग सब बात कहने में डरते थे। लेकिन जब हमने औरतों से अलग बात की तो उनमें से एक महिला ने डरते डरते कहा कि हम पर क्या बीती यह हमारे मुँह से मत कहलवाइये, आप खुद ही समझ लीजिए।

बदमाश लोग आधी रात में अगर हमें पहाड़ी के ऊपर ले गए तो हमारी सूरत देखने के लिए थोड़ी ले गये थे। यह कहते कहते वो औरत रो पड़ी।

अपने बयान में मैंने बाँदा जिले के ही दूसरे गौंडा गाँव में 27-28 जून की रात को घटी घटना का भी उल्लेख किया। लोगों ने जो कुछ बताया उसके अनुसार डाकू गाँव में हथियार ले कर आये और उन्होंने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। जिन महिलाओं के साथ ज्यादती की गई उनके नाम भी मैंने अपने बयान में बताये और इस बात पर भी बल दिया था कि बलात्कार की जानकारी औरतों ने स्वयं रो कर मुझे दी थी। कोल जन-जाति की इन औरतों ने यह भी कहा कि उन्हें सारे कपड़े उतार कर नाचने के लिए भी मजबूर किया गया।

यह बड़े आश्चर्य तथा खेद की बात है कि औरतों पर हुए इस अमानुषिक अत्याचार की ठीक ठीक जाँच कर के दोषियों को दंड देने की बजाय पुलिस सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। गौंडा के बारे में अब पुलिस अधिकारी यह बयान दे रहे हैं कि वहाँ सामूहिक बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई। एक महिला के नाते मुझे यह बयान प्रकट करते हुए वेदना हो रही है। महिला का सम्मान, महिला का स्त्रीत्व किसी विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। अपने बयान में मैंने जो कुछ कहा वह उत्पीड़ित महिलाओं से स्वयं बातचीत करने के बाद कहा था। मेरे साथ संसद के और भी सदस्य थे। दिल्ली मैट्रोपोलिटन काउंसिल की भूतपूर्व चेयरमैन मेरे साथ थीं। सूचना मंत्रालय को चाहिए था कि अफसरशाही पर भरोसा करने की बजाय स्वयं घटना स्थल पर जाते और तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करते। अपने वक्तव्य में मैंने जो कुछ कहा था, वह पूरे विश्वास के साथ कहा था और मैं उस पर कायम हूं। मैं एक बार फिर इस अगस्त हाऊस से अपील करती हूं कि आए दिन जिस प्रकार की घटनायें, अत्याचार, अमानुषिक और बर्बरतापूर्ण घटनायें हो रही हैं, इन बातों को यहाँ जोरदार ढंग से उठाना चाहिए और इन पर काबू पाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will now take up Special Mentions.

SHRI LAL K. ADVANI (Gujarat): This should not end here because what has happened is something very serious. It has long and far-reaching implications. Here a Minister of the Government makes a statement on the floor of the House....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You take some other recourse for that. So far this is concerned, it is over.

SHRI LAL K. ADVANI: The Minister made a statement and now here is the personal explanation. She has not said anything against the Government but I think it is serious that while a police officer can indulge in lies in order to protect himself, I do not see any reason....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry; this point is irrelevant. She has made her personal explanation. Now if you want to raise the matter in the House, you can take suitable steps for that and you can raise it again. After this personal explanation. I will not allow it....(*Interruptions*).

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह स्त्रियों के सम्मान का सवाल है, राजमाता सिंधिया का सवाल नहीं है लेकिन मंत्री महोदय इस प्रकार का जवाबदारी का बयान करके उसके बारे में पूछते हैं।

SHRI PILOO MODY (Gujarat): What should be the outcome, I ask you, Mr. Deputy Chairman? It is a personal explanation. The outcome of it is that the wrong done to the Member and the mischief that is being done in the country should be rectified.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take some other steps to raise it according to rules.

SHRI PILOO MODY: This is the step we are taking.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We may meet in the Chamber and we can discuss it.

SHRI PILOO MODY: Why should you discuss everything inside?

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): I have raised my hand first.

श्री रामानन्द यादव : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर पहले है, मेरी बात सुन लें।

SHRI LAL K. ADVANI: I would like the Government to say something.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: I am on a point of order; I have been raising my hand.

श्री रामानन्द यादव : कुलकर्णी जी पहले मैं खड़ा हुआ था और मैंने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया था।

SHRI MANUBHAI PATEL (Gujarat): Mr. Kulkarni raised his hand first; he should be allowed first.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kulkarni, I can call you later on.

I do not hear you; I will call you later. First, Mr. Yadav.

SHRI MANUBHAI PATEL: But Mr. Kulkarni raised his hand first for a point of order.

श्री रामानन्द यादव : मेरा प्वाइंट आर्डर पहले था।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not hear you, Mr. Kulkarni. I will call you later on.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: This is the test! I thank you very much.

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति महोदय ने मुझे बुला लिया है, आप मेरी बात सुन लीजिए।

SHRI MANUBHAI PATEL: But Mr. Kulkarni raised his hand before. He should first be allowed to say on his point of order.

श्री रामानन्द यादव : उपसभापति महोदय, आपने एक सम्माननीय महिला सदस्या को सेल्फ एक्सप्लेनेशन के लिए हुक्म दिया। कुछ मैटर को लेकर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया अब क्या हाउस में किसी मेम्बर को सेल्फ एक्सप्लेनेशन के बाद उस पर वाद विवाद हो सकता है। क्या उस पर वाद विवाद हो सकता है? क्या कोई प्रोविजन है अगर प्रोविजन है . . *(Interruptions)* नहीं है, अभी नहीं है।

श्री उपसभापति : संक्षेप में कहिए।

श्री रामानन्द यादव : कुछ समय बाद हो सकता है, लेकिन क्या तुरन्त, तत्काल ही उसमें वाद विवाद हो सकता है अथवा जो दूसरा

कार्य आगे है, वह चलेगा। मैं आपसे इस पर रूलिंग चाहता हूं कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन पर क्या वाद विवाद हो सकता है?

एक माननीय सदस्य : हो सकता है।

श्री रामानन्द यादव : नहीं हो सकता है.. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आपका क्या प्वाइंट है।

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: Sir, my point of order is this.... (*Interruptions*). Would you please take your seat? I have been called. Why are you disturbing me?

Sir, the hon. lady Member has made certain clarifications. Sir, I wanted to bring it to your notice that in such matters we were given a sermon two days back by Mr. Sathe, Minister of Information and Broadcasting on rape being a non-issue. I am aware that the All India Radio .... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is your point of order?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: My point of order is that the law and order situation in the country has so much deteriorated and I am only bringing to your notice what the *Indian Express* has said. (*Interruptions*) It is a rapist's problem. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a point of order. There is no point of order. (*Interruptions*) Now, we will go to the next item. (*Interruptions*) जहां तक कि श्री रामानन्द यादव के प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के बाद कोई बहस सदन में नहीं होती है। अगर माननीय सदस्य को किसी तरह से उस प्रश्न को सदन में लाना है, तो उसकी जो प्रक्रिया है, उसको फालो करिए। दोनों वर्जन, माननीय मंत्री जी का बयान और माननीया सदस्या का भी बयान सदन के सामने प्रोसीडिंग्ज़ में आ चुका है और यह मामला वहीं पर समाप्त हो जाता है।

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, has the Government to say anything about it?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is here. If they want to say anything, they will say on their own.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, this is a very serious matter. The Government is there. They can answer. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will go to the next item. Now, Mr. Satyanarayan Reddy to make a special mention.

SHRI LAL K. ADVANI: If the Government has nothing to say, if they are silent.... (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government is hearing it.

SHRI LAL K. ADVANI: The Government can certainly say....

MR DEPUTY CHAIRMAN: We cannot compel the Government at this stage. You know very well. I have called Mr. Satyanarayan Reddy.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, Shrimati Vijaye Raja Scindia....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr Advani, you know better than myself.

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, she has raised a very serious issue for the Government. The hon. Home Minister can very well say that he will discuss this with Mr. Sathe and let the House know if the hon. Minister says so, I would be satisfied. If the hon. Home Minister is not willing to make any statement, I believe, the Government stands by what Mr. Sathe has said. If that is so, I would like to register our protest against th

[Shri Lal K. Advani]

attitude of the Government, against this callous attitude of the Government in this matter and walk-out of the House.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

SHRI PILOO MODY: Sir, I am afraid, we associate ourselves with the sentiment just expressed. If the Government is so callous about it, I am afraid, we cannot participate further in the proceedings of the House.

(At this stage, some hon. Members left the Chamber)

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): Sir, this is a very serious matter. When you are not allowing me.... *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. This is not proper.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: The hon. Home Minister is here. *(Interruptions)*

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Satyanarayan Reddy is saying something. *(Interruptions)*

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, May I have my submission? *(Interuptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So many Members are standing. *(Interruptions)*

SHRI BHUPESH GUPTA: May I have my submission?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Satyanarayan Reddy. Let him make his special mention.

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : एक महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र): उसके लिए मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री उपसभापति : उनको पहले कह लेने दीजिए। *(Interruptions)*

श्री सदाशिव बागाईतकर : आपने प्वाइंट आफ आर्डर पर यह व्यवस्था दी कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन हो जाने के बाद बहस नहीं हो सकती है। यह आपकी व्यवस्था है। असल में जो मामला उठाया गया और आपके सामने प्रार्थना की गई, वह बहस की शकल में कतई नहीं था। वह यह था कि गलत बयानी अगर मंत्री के द्वारा हो गई, तो उसके बारे में ... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। कृपया आसन ग्रहण करें। प्वाइंट आफ आर्डर के बहाने आप कोई वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। This will not go on record.

[Shri Sadasiv Bagaitkar continued to speak]

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ... *(Interruptions)* दूसरा विषय है... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता है। This is not a point of order. There is no point of order.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आपके सामने चैयरमेन साहब ने फिर कहा....

(Interruptions)

श्री उपसभापति : पहले स्पेशल मैंशन हो जाने दीजिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : सुन लीजिए एक मिनट।

श्री उपसभापति : स्पेशल मैंशन हो जाने दीजिए। उसके बाद आप कहिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्री सत्यपाल मलिक का जो प्रिविलेज मोशन है, उसके बारे में चैयरमेन साहब ने कहा कि मैंने डिप्टी चैयरमैन से कह दिया है और वे उसका जिक्र कर देंगे।.... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : कृपया आसन ग्रहण करिए। पहले स्पेशल मैंशन हो जाने दीजिए। दूसरा आइटम उसके बाद कहिए।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप इसके बारे में क्या कहते हैं। चैयरमेन साहब चले गए। वे कहते हैं कि डिप्टी चैयरमैन साहब से कह दिया है।

श्री उपसभापति : तो मैं बताऊंगा बाद में।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : चैयरमैन साहब तो चले गए और आप.... *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : यह स्पेशल मैंशन हो जाने दीजिए। उसके बाद कहिए .... *(Interruptions)*

SHRI BHUPESH GUPTA: Normally you are right. When a personal explanation is given, generally the matter ends there. But sometimes it does happen that a personal explanation raises a certain matter of wider interest than affecting the person who has raised it. Here, Sir, you have heard the statement. The matter is before you, in the House, in the public. Now an hon. Member of the House has made a statement clarifying something or making her position clear and in the course of that statement certain things have come to light which directly involves the Government. *(Interruptions)*.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It does not arise out of the personal explanation. Those are different matters.

SHRI BHUPESH GUPTA: All right, I am not questioning you that way. But then, Sir, I submit to you, must these matters be passed over in this manner?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no, they can be raised in a proper form. At this stage they cannot be raised.

SHRI BHUPESH GUPTA: It is for you to decide when and how it should be taken up. Initiative should come from you. We are not second class Members here or second class citizens somewhere. An issue has been raised. I am not saying whether it is right or wrong, but we have to take, what she has said, as correct. If that is so, in what light does the Government stand? Sir, the matter involves certain very basic public standard and what will the people think after the statement has been read out here? What will they think if the people read in the newspapers that the Parliament just passed over an item in the agenda in this manner, just in a routine way? I am not questioning what you have said, but I do not think this matter should be treated like that. I think you should tell the Government. You should decide how the matter could be taken up and the Government should either contradict the statement or tender an unconditional apology to the House because we have given quite a different version from official sources.

श्री भोला पासवान शास्त्री (बिहार) : उपसभापति जी, आपने तो यह बात साफ कर दी थी कि जो गवर्नमेंट की तरफ से साठे साहब का बयान हुआ था जिसके ऊपर महारानी सिंधिया ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने जहां तक आपको सुना, वह बात वहीं खत्म हो गई और इस पर कोई डिसकशन नहीं हो सकता है। जैसा कि भूपेश बाबू ने अभी मामला रेज किया है, इसके बावजूद भी सवाल देश में पैदा हो रहा है, यह क्यों एक

[श्री भोला पासवान शास्त्री]

कामन फीचर हो रहा है जो औरतों पर इस तरह से जुल्म होता जाता है ? इसका क्या कारण है, क्या बात है। तो जो कन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट हुआ है तो गवर्नमेंट की तरफ से कम से कम अभी नहीं तो बाद में इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। यह खाली कानूनी बात नहीं है—ठीक है, बहुत सी बातें कानूनी और कांस्टीट्यूशनल भी हो जाती हैं, बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं—लेकिन यह देश से सरोकार रखता है, यह कामन फीचर हो गया है, हम रोजमर्रा पढ़ते हैं अखबार में। पहले तो आदिवासी और हरिजन महिलाओं पर जुल्म होते रहे, वह बराएआम बात थी, इस देश में ऐसा ही होता रहा है लेकिन अब जो और सिलसिला बढ़ने लगा कि अपर कास्ट की औरतों को बराआम रेप करने का ... (*Interruptions*) ... आदिवासी–हरिजन तो मैंने इसलिए कहा कि इस देश के बड़े लोगों ने समझ लिया कि वह हमारे आराम की चीज है—जानते हैं, होम मिनिस्टर जानते हैं, स्टेट मिनिस्टर जानते हैं, सब जानते हैं कि किस तरह की वारदातें होती रहती हैं आदिवासी औरतों के साथ। तो मैं नहीं कहता, अभी आप करिए, लेकिन इस पर तवज्जह दीजिए और जो रानी सिंधिया ने कांट्राडिक्ट किया है—वे एक रेस्पांसिबल मेम्बर हैं—उस पर विचार करके गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पोजिशन साफ कर सकती है इसलिए बात यहां एन्ड हो सकती है। आज नहीं करें तो कल करें, परसों करें। आपकी तरफ से, जो आपने रूलिंग दिया, हमने मान लिया लेकिन इसके अलावा आप चाहें तो गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि भाई; इसका स्पष्टीकरण करें। और इस मामले में मैं पूरा भूपेश गुप्त जी के साथ हूं।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : उपसभापति महोदय...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a point for discussion. What Shri Bhupesh Gupta said or what Shastriji said is not a point for discussion. So far as the question of explanation goes.... (*Interruptions*) Please hear me. (*Interruptions*). Kindly take your seat. (*Interruptions*). Let it not be recorded. (*Interruptions*). Please take your seat.

श्री शिव चन्द्र झा : दोनों मंत्री बैठे हैं, ये सफाई दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Every one cannot be allowed. (*Interruptions*) Another point is being raised. This is not proper. (*Interruptions*) No, I don't allow this. May I request the hon. Members that so far as the personal explanation is concerned, the matter ends there. Both the versions are before the House in the proceedings and the country knows what is the version of the Minister and what is that of the Member. The country can draw its own conclusion. If any party—either the Government or the Member—wants to raise the matter for a discussion in some form or the other, the rules are there; they can seek guidance from these. I do not think there is any hindrance for them.

Now I call Mr. Satyanarayan Reddy. (*Interruptions*)

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA (Orissa): It may not be true.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: May not be true. I do not say it is true. The versions are there This is not a discussion which you can raise. (*Interruptions*)

SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA: The Government must make the position clear.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The position is clear.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : मैं बहुत पहले से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री उपसभापति : आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है, बताइए ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस नियमावली के नियम 34 और 35 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम 34 और 35 साफ बतलाता है कि कार्य-मंत्रणा समिति के अन्दर जो विचार होंगे वह सदन में आएगा यह इसमें लिखा हुआ है । जो व्यवहार हो राज्य सभा का मैं नहीं जानता, मैं नया सदस्य हूं, मैं नियमावली पढ़ता हूं । उसमें कोई भी संशोध न दे सकता है । कार्य-संचालन के नियम 34 और 35 का पालन इस सदन में नहीं हो पा रहा है । कौन कौन से विषय विचार के लिए आते हैं इसके संबंध में एक सदस्य की हैसियत से जो हमारी राय जानी चाहिए कार्य मंत्रणा समिति में वह नहीं जा पाती । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है--जो मैंने उपसभापति महोदय को लिख कर भी दे दिया है--कि हम लोग जो गांव से आए हुए किसान लोग हैं और जो ध्यानाकर्षण, कालिंग अटेंशन और स्पेशल...

श्री उपसभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (*Interruptions*) यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (*Interruptions*) जो पहली बात आपने कही, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि कार्य-मंत्रणा समिति की जो रिपोर्ट आती है वह सदन के सामने पेश की जाती है । (*Interruptions*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : गोली चलायी गयी.... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आपको सन्तोष नहीं है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : नियमों का पालन नहीं हो रहा है । बिना नियम के सभा कैसे चल सकती है ।

Re neeoctref to Alleged Police Atrocities on Anti-price-rise agitators in Karnataka

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : (आंध्र प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आप के जरिए, इस सदन के जरिए इस सरकार का और इस देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं एक गम्भीर विषय पर । वह यह कि कर्नाटक में और कर्नाटक के कई जिलों में धारवाड़, बेलगाम, बीजापुर और रायचूर और दूसरे हिस्सों में इस महीने की 21 तारीख से मुसलसल जनता का, किसानों का, एन्टी-प्राइस राइज़ एजीटेटर्स का आंदोलन चल रहा है । इस पर पुलिस ने बेदर्दी से हमला किया, गोली चलाई, फायरिंग हुई, जिसके नतीजे के तौर पर कई लोग मारे गए । मैं और मेरे साथी नरेन्द्र सिंह दोनों ने दो दिन तक उन इलाकों का दौरा किया । नरकुंड, नावलगुड, नरगुंड और दूसरे इलाकों का दौरा किया, वहां के हालात देखे । बहुत ही गम्भीर सिचुएशन है, बहुत ही गम्भीर हालात पैदा हो गए हैं । इसके विषय में हम ने कालिंग अटेंशन के बारे में निवेदन किया, इतने गम्भीर विषय पर जब हमने कालिंग अटेंशन का मसला उठाया तो उसकी मंजूरी नहीं हुई । इसके बजाय हमको स्पेशल मेंशन के लिए इजाजत दी गयी । देश में इतना बड़ा वाकया हुआ, किसानों पर जुल्म हो रहा है, जनता पर जुल्म हो रहा है, हजारों की तादाद में जेलों में लोग बन्द हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है । उनको पुलिस ने बेदर्दी से, बेरहमी से मारा पीटा । हम जेलों में गए, वहां देखा, गांवों में गए और देखा, लोगों के हालात देखे । उन को बुरी तरह पीटा गया है, कई तबाह हो गए हैं, कई मकान तबाह हो गए, कई लोग मारे गए । उनके बदन पर जो जेवरात थे, जो उनके पास पैसा था, वह छीन लिया गया । हम धारवाड़ के जेल में गए--कई जेलों में ऐसे हालात थे--वहां के लोगों ने बताया कि 171 लोग उसके अन्दर गिरफ्तार हैं । उन लोगों में तालिबइल्म हैं,

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

किसान हैं, मजदूर हैं, पत्रकार हैं, छोटे-छोटे व्यापारी हैं, दूकानदार हैं, आम लोग हैं। एक बड़ी अजीब बात है कि जो भी रास्ते में दिखाई दिया उसको बन्द कर दिया, अन्दर डाल दिया। और यही नहीं, वहां जो आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद किसानों पर जो जुल्म हुए उसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई महीनों तक प्रयत्न किया, वे अधिकारियों के पास जाते रहे। अपनी मांगों को मनवाने के लिए वे वहां के अधिकारियों के पास गए लेकिन उनकी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। वे वहां के तहसीलदार के पास गए, वहां वे मंत्रियों के पास गए, जो वहां के चुने हुए नुमाइन्दे हैं उनके पास गए, लेकिन उनकी बात किसी एम एल ए ने, किसी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने नहीं सुनी, हालांकि वे अपना मेमोरेंडम लेकर जो वहां के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं श्री बंगरप्पा उन से भी मिले थे और उनको अपना मेमोरेंडम दिया था लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद 19 जून को एक मेमोरेंडम जिसमें उनकी 17 मांगें हैं उन लोगों ने वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को दिया कि हम पर जो जुल्म हो रहे हैं, जो हम से लेवी इकट्ठा की जा रही है, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है उसे रोका जाय और जो उन के डेट्स हैं उन को माफ करने की मांग उसमें की गयी थी। वहां एक मल्ल प्रभा प्रोजेक्ट है उसमें हजारों की तादाद में किसान हैं। अभी उसकी कैनाल्स पूरी तैयार नहीं हुईं, प्रोजेक्ट पूरा तैयार नहीं हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट की जो लागत है वह किसानों से वसूल की जा रही है। यह एक अजीब बात है। किसानों से जो मल्ल प्रभा प्रोजेक्ट की कास्ट है वह वसूल की जा रही है 300 से लेकर 1500 एकड़ के हिसाब से और पानी अभी मिलना शुरू नहीं हुआ लेकिन पानी का रेट वसूल किया जाता है और इसके साथ साथ जिन के पास दस एकड़ या 15 एकड़ जमीन है उसमें से उनको अगर दो एकड़ को भी पानी मिलता है तो पूरे 15 एकड़ जमीन के लिए पानी का पैसा उनसे वसूल किया जाता है। वह जुल्म है। इसके खिलाफ उन्होंने मेमोरेंडम दिया है सरकार के पास, तहसीलदार के पास, चुने हुए नुमाइन्दों के पास, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 19 जून को उन्होंने मेमोरेंडम दिया और इस्तदुआ की कि इन हालात के तहत इस वसूली को रोक दो लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। सरकार की तरफ से इसके लिए कोई जवाब नहीं मिला और उस दिन उन्होंने फैसला किया, वहां के किसानों ने— और मैं बताना चाहता हूं कि इसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं है यह फैसला वहां के किसानों ने ही किया है कि हम इस जुल्म के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे और 19 जून से उनका सत्याग्रह शुरू हो गया। और नरकुल के तहसील आफिस के सामने उन्होंने अपना कैंप डाला और धरना शुरू कर दिया और 21 जुलाई तक यह जारी रहा। 21 जुलाई तक न किसी मंत्री ने और न वहां के कलेक्टर ने और न तहसीलदार ने और न वहां के चुने हुए नुमाइन्दों ने उनकी मांगों की तरफ कोई तवज्जेह दी...

श्री उपसभापति : आप संक्षेप में कहिए।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इतना समय तो फिजूल बातों में चला गया। यह तो एक गम्भीर विषय है। यह किसानों का मसला है और कई लोगों ने इसमें अपनी जान दी है। यह कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे हिन्दुस्तान में फैलेगा। इस के लिए दो मिनट मुझे और दिए जायें।

तो 21 तारीख को कई गांवों के हजारों किसानों ने फैसला किया और वे वहां के तहसीलदार को अपना मेमोरेंडम देने के

लिए आए । उस दिन उन्होंने तहसीलदार से इस्तेदुआ की कि आज आप अपने तहसील आफिस को बन्द कर दीजिए और हमारे मेमोरेंडम को हासिल कर लीजिए । लेकिन तहसीलदार ने उनकी बात नहीं सुनी और वे उन लोगों के जिस्म पर चलते हुए तहसील आफिस में गए और गोली चलाई । वहां उससे एक नवयुवक मारा गया और इसके साथ साथ उस दिन नवगुंड में तहसील वगैरह में जो प्रोसेशन निकाल रहे थे उन में भी एक किसान मारा गया । इस तरह से पूरे कर्नाटक में एक आग लगी हुई है । उनकी कुछ डिमांड्स हैं जिनकी तादाद 17 है, उन में से 5, 6 को मैं पढ़ कर यहां सुनाना चाहता हूं।

The first demand is: "abolition of betterment levy". The second one is: "immediate payment of compensation for the lands acquired for irrigation canals". The third is: "reduction in prices of agricultural inputs, reduction in prices of fertilizers, diesel, etc. and reduction in water rates".

जो खर्चा है...

श्री उपसभापति : अब समाप्त करिए ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : एक सेकिंड और लूंगा । उनका जो आंदोलन चल रहा है उसको खत्म करने के बजाय पुलिस ने हर जगह लाठी चार्ज और फार्यरिंग किया... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप समाप्त करिए । दो स्पेशल मेंशन हैं । उनको समाप्त होने दीजिए । उसके बाद कहिए ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : पूरे राज्य में एन्टी प्राइस राइज डिमोन्स्ट्रेशन चल रहा है । पूरे कर्नाटक में और दूसरे इलाकों में यह हो रहा है । सरकार की तरफ से आज तक इस बार म काइ सुनवाई नहीं हुई ।... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आप कृपया समाप्त करें ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है और इसको जल्दी हल नहीं करती है तो यह आंदोलन न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे सदर्न स्टेट, केरल, तमिलनाडु सभी जगहों में यह आंदोलन फैल जाएगा । हमारी डिमांड है....

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): मिनिस्टर साहब से कहें कि वह बयान दें । 30 आदमी गोली से मरे हैं... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं आपकी बात ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : हम लोगों ने इस पर कालिंग अटेंशन दिया था और इसलिए दिया था...

श्री उपसभापति : आप समाप्त करिए ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : 30 आदमी मारे गये हैं .. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : सारी बात आपने कह दी है । 10 मिनट तक आप बोले हैं... (*Interruptions*) श्री [illegible] कोया ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जिस सरकार ने गोली चलाई है उस सरकार को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिये... (*Interruptions*) जिसने फायरिंग की है, हत्या की है उस सरकार को एक मिनट के लिये रहने का

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

कोई अधिकार नहीं है। उस सरकार को बखस्ति किया जाना चाहिये। इसीलिये मैंने सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाया है . . . (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : कितनी बार आप दोहरायेंगे। श्री अब्दुल्ला कोया आप बोलिये।

SHRI B. V. ABDULLA KOYA (Kerala): Sir, with your permission, I want to mention about.... (*Interruptions*)

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इन चीजों की जुडिशियल इंक्वायरी फौरन की जाए (*Interruption*)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार) : इस पर सरकार का ध्यान खींचा है .... (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इस पर हम लोगों की मुस्तकिल राय है। जो कर्नाटक में हो रहा है उस पर सरकार को बयान देना चाहिये। होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं उन्हें बयान देना चाहिये (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : इस पर हमने कालिंग अटेंशन भी दिया था .. (*Interruptions*)

श्री उपसभापति : यह बात आप कह चुके हैं। 10 मिनट तक आप कहते रहे हैं दुबारा मत कहिये... (*Interruptions*)। जो स्पेशल मेंशन की व्यवस्था है वह आप सब जानते हैं। स्पेशल मेंशन आपने कर दिया। जो स्पेशल मेंशन की प्रक्रिया है वह आपने फोलो किया है। यह प्रश्न और तरीके से भी उठा सकते हैं। जो आपने नोटिस दिया है वह चैयरमैन साहब के पास है। वह उस पर विचार करेंगे। आप आसन ग्रहण कीजिए। (*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप अगर नहीं सुनते हैं तो हम बाहर जा रहे हैं (*Interruptions*)

[*At this stage, the Hon'ble Member left the Chamber.*]

REFERENCE TO ALLEGED POLICE FIRING IN MALLAPURAM, KERALA ON THE 30TH JULY, 1980

SHRI B. V. ABDULLA KOYA (Kerala): I want to mention about the police firing in Mallapuram, Kerala State, yesterday, killing fouru persons who were young students and wounding nearly 18 persons; according to the police report, the policemen themselves were about 30 persons. This was as a result of an agitation by the students of the Muslim community and....

AN HON. MEMBER: Not Muslim community.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: .... other communities also because of a recent order of the Kerala Government imposing certain restrictions on the Urdu, Arabic and Sanskrit teachers and their institutions in Kerala. Sir, as claimed by the Kerala Government.... (*Interruptions*)

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): He has a different story. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him say. We should know what he says.

SHRI B. V. ABDULLA KOYA: They are going on agitation. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please hear him first.

SHRI S. KUMARAN (Kerala): One policemen also died. (*Interruptions*)